रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 476] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 13, 1971/भाद्र 22, 1893

No. 476] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 13, 1971/BHADRA 22, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF STEEL & MINES

(Department of Mines)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th September 1971

S.O. 3403.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (ix) of clause (a) of sub-section (1) of section 2 of the Essential Services Maintenance Act, 1968 (59 of 1968), the Central Government, being of opinion that strikes in any service connected with the supply of electrical energy to the public in the State of Tamil Nadu or with the generation, storage or transmission of electrical energy for the purpose of such supply [not being any such service falling under sub-clause (viii) of clause (a) aforesaid], would result in the infliction of grave hardship on the community, hereby declares every such service to be an essential service for the purposes of the said Act.

[No. 2/27/71-C6.]

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 1971

का० आ० 3403.—आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम 1968 (1968 का 59) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपखण्ड (ix) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इस राय में होते हुए कि तमिलनाडु राज्य में जनता को विद्युत शक्ति की आपूर्ति से या ऐसी आपूर्ति के प्रयोजनार्थ विद्युत शक्ति के उत्पादन, भंडारकरण या संचरण से सम्बन्धित ऐसी किसी सेवा में [जो उक्त अधिनियम के खण्ड (क) के उपखण्ड (viii) के अन्तर्गत आने वाली सेवा न हो] हड़तालों के परिणाम स्वरूप समुदाय को गम्भीर कठिनाई पहुंचेगी, उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ हर ऐसी सेवा को एतद्द्वारा आवश्यक सेवा घोषित करती है।

[सं० 2(27)/71—कोयला 6]

ORDER

New Delhi, the 13th September 1971

S.O. 3404.—Whereas the Central Government is satisfied that in the public interest it is necessary to make the following orders:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Essential Services Maintenance Act, 1968 (59 of 1968), the Central Government hereby prohibits strikes in any service in the State of Tamil Nadu connected with the supply of electrical energy to the public or with the generation, storage or transmission of electrical energy for the purpose of such supply, which has been declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Steel and Mines (Department of Mines), S.O. 3403, dated the 13th September, 1971 to be an essential service for the purposes of the said act or which falls under sub-clause (viii) of clause (a) of sub-section (1) of Section 2 of the said Act.

[No. 2/27/71-C6.]

By order and in the name of the President.

N. SUBRAHMANYAM, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 1971

का० आ० 3404.—यतः केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि जनहित में निम्नलिखित आदेश करना आवश्यक है ;

अतः अब, आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम 1968 (1968 का 59) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा तमिलनाडु राज्य में ऐसी किसी सेवा में हड़तालों का प्रतिषेध करती है जो जनता को विद्युत शक्ति की आपूर्ति से या किसी ऐसी आपूर्ति के प्रयोजनार्थ विद्युत शक्ति के उत्पादन, भंडारकरण

या संधरण से सम्बन्धित है और जो भारत सरकार के इस्पात और खान मंत्रालय (खान विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 3403 तारीख 13 सितम्बर, 1971 द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक सेवा घोषित की जा चुकी है या जो उक्त अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (क) उपखण्ड (viii) के अधीन आती है।

[सं० 2(27)/71-कोयला-6]

राष्ट्रपति के नाम में और आदेश से,

एन० सुब्रह्मण्यम,

सचिव, भारत सरकार।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971